रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2010/वैशाख 10, 1932

No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2010/VAISAKHA 10, 1932

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 366(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) के भर्ती नियम, 2007, जहां तक उसका संबंध सिपाही के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में, सिपाही के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सिपाही भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सिपाही	148*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 5,200 20,200 + ग्रेड वेतन रु. 1800	लागू नहीं	नहीं	18 से 23 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक) (आयु -सीमा की विभेदक तारीख प्रति वर्ष 1 अगस्त होगी)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
शैक्षिक अर्हताएं : मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए । **शारीरिक मान :** ऊंचाई पुरुषों के लिए 170 सें.मी. महिलाओं के लिए 157 सें.मी. छाती : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सें.मी. फुलाने पर न्यूनतम 5 सें.मी. की वृद्धि **टिप्पणी :** महिला अभ्यर्थियों की दशा में छाती की कोई न्यूनतम अपेक्षा नहीं है । **भार :** पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सीय मान के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक में । **चिकित्सीय मान :** (1) **दृष्टि :** चिकित्सीय रूप से सुधार किए बिना अर्थात् चश्मा लगाए बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरी की दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (2) अभ्यर्थियों को अंतर्जानु, सपाट पैर, धनुर्जंधी, स्फीत शिरा, तिरछी आंखें, शरीर के किसी भाग की विकृति वाला नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होना चाहिए ।	शैक्षिक अर्हता और चिकित्सा मान (स्तंभ 8 में उल्लिखित अनुसार) लागू होंगे । आयु-सीमा 40 वर्ष होगी ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(8)

(3) उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य तथा किसी भी शारीरिक त्रुटि से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने में व्यवधान उत्पन्न ना हो ।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी ई टी)

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए :—

(क) 24 मिनट में 5 कि.मी. दौड़ पूरी करनी होगी ।

(ख) 11 फुट लम्बी कूद (तीन अवसर दिए जाएंगे) ।

(ग) 3-1/2 फुट ऊंची कूद (तीन अवसर दिए जाएंगे) ।

महिला अभ्यर्थियों के लिए :—

(क) 8.3 मिनट में 1.6 कि.मी. दौड़ पूरी करनी होगी ।

(ख) 9 फुट लम्बी कूद (तीन अवसर दिए जाएंगे) ।

(ग) 3 फुट ऊंची कूद (हाई जम्प) (तीन अवसर दिए जाएंगे) ।

शिथिलीकरण :

(i) पहाड़ी इलाकों अर्थात् गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठी, सिक्किमी, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंमी. । महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सें.मी. । जनजाति/आदिवासी (अनुसूचित जन जातियों) के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 से.मी. तथा महिलाओं के लिए 150 सें.मी. ।

(ii) छाती में छूट केवल जन जातियों (अनुसूचित जन जातियों) और पहाड़ी इलाकों के व्यक्तियों के लिए लागू है । इस प्रवर्ग के कार्मिकों के लिए न्यूनतम छाती निम्न प्रकार होगी :

(i) विनिर्दिष्ट पहाड़ी इलाकों के पुरूषों के लिए 78-83 सें.मी.

(ii) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जन जातियों के लिए 76-81 सें.मी.

शिथिलीकरण की शक्ति :— उपरोक्त यथावर्णित किसी पात्रता मानदंड को शिथिल करने की शक्ति स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगी ।

टिप्पणी : चिकित्सीय तथा शारीरिक मान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में कान्सटेबल की सीधी भर्ती के लिए निहित निर्देशों के अनुसार होंगे ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशाओं की श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिकों से प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा । 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**पुनः भर्ती :** ग्रेड वेतन 1800 रु. में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से जिन्होंने न्यूनतम तीन वर्ष सेवा की है । **प्रतिनियुक्ति/आमेलन पुनर्नियोजन :** प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य